आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)(1)/लेखा/निकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/ 600 दिनांक– 06-10-2021

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना बाबत्।
संदर्भ– विभाग का आदेश क्रमांक – एफ 23(80)(1) लेखा/आकाशि/छा. ऑनलाईन/2020–21/2348–2373 दिनांक–23.03.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 के विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त जिला नोडल अधिकारी को फारवर्ड किया जाना था, किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक भी जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड नहीं किया गया है ।

निम्नलिखित तिथियों के अनुसार पोर्टल बंद किया जा रहा है :–

विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु	दिनांक–23.10.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु	दिनांक–25.10.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा जांच किये जाने हेतु	दिनांक–02.11.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक

यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी। महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे विद्यार्थियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर छात्रों से समयानुसार आक्षेपपूर्ति सुनिश्चित करावें। संबंधित जिले के नोडल महाविद्यालयों को अपने अधीन आने वाले महाविद्यालयों से दूरभाष पर सम्पर्क कर बकाया आवेदन फॉरवर्ड करवाना सुनिश्चित करावें। आक्षेपपूर्ति एवं फारवर्ड करने हेतु यह अंतिम अवसर है। अतः पालना सुनिश्चित करें।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)(1)/लेखा/निकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/ 602 दिनांक– 06-10-2021

प्रतिलिपिः–प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/

Scanned with CamScanner